

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

प्रथम आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक(प०),

मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, इलाहाबाद, मीरजापुर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती,
आजमगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, सहारनपुर तथा अलीगढ़।

संख्या- 1/शा०/15/2018-1/14/2018 :

लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विशेष सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-28/2018/970/33-3-2018-100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रु० 1,89,69,845/- (रु० एक करोड़ नवासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ पैतालिस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी०-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
5. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी०-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
9. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
10. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
13. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
14. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
15. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
16. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
17. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
18. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य -लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
19. आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।
20. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्न लिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 1) कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2) प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 3) व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 4) वर्ष 2018-19 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-124 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (आकाश दीप)
 निदेशक,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/15/1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ✓ 7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


 (ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019

आवंटन दिनांक-18/04/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-15-2018-1-14-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-14-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज

04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	596867 596867	41781 41781	24472 24472	663120 663120
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1592071 1592071	111445 111445	65275 65275	1768791 1768791
3	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	897273 897273	62809 62809	36788 36788	996870 996870
4	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	56904 56904	3983 3983	2333 2333	63220 63220
5	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2246007 2246007	157220 157220	92086 92086	2495313 2495313
6	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	671767 671767	47024 47024	27542 27542	746333 746333
7	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1823867 1823867	127671 127671	74779 74779	2026317 2026317
8	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2375158 2375158	166261 166261	97381 97381	2638800 2638800
9	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1152786 1152786	80695 80695	47264 47264	1280745 1280745
10	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	157600 157600	11032 11032	6462 6462	175094 175094
11	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1863150 1863150	130421 130421	76389 76389	2069960 2069960

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
12	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	467250 467250	32708 32708	19157 19157	519115 519115
13	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	633500 633500	44345 44345	25974 25974	703819 703819
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1984590 1984590	138921 138921	81368 81368	2204879 2204879
15	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	555778 555778	38904 38904	22787 22787	617469 617469
	योग	वर्तमान प्रगामी	17074568 17074568	1195220 1195220	700057 700057	18969845 18969845

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):-

रूपया एक करोड़ नवासी लाख उनहत्तर हजार आठ सौ पैंतालीस

महायोग- (प्रगामी
आवंटन):-

रूपया एक करोड़ नवासी लाख उनहत्तर हजार आठ सौ पैंतालीस

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी